अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

अशोक कुमार बनाम रूपनारायण वगै0

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मु0नं0– 135 / 2021

पीठासीन अधिकारी– श्री यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.04.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुई। बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात या मौखिक बहस में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थी को अप्रार्थीगण से अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना हो अथवा अप्रार्थीगण द्वारा भूमि की यथास्थिति में परिवर्तन का कोई प्रयास किया गया हो। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.11.2021 खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	